

झारखण्ड सरकार,  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 26/3/15

संख्या-12/लि0से0-22-55/2012 (खण्ड) का०.....2735...../ झारखण्ड  
सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम-16 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग  
करते हुए उक्त नियमावली के नियम 7(3) में प्रावधानित सहायक ग्रेड की प्रवर सूची के  
सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकार निम्नलिखित विनियम बनाते हैं :-

सहायक ग्रेड की प्रवर सूची झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के ऐसे  
उच्च वर्गीय लिपिकों से गठित होगी जो उच्च वर्गीय लिपिक के पद पर न्यूनतम 10 वर्षों  
की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूरी कर लिये हों।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

*lit 26/3/15*  
(एस0के0 शतपथी)  
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-12/लि0से0-22-55/2012 (खण्ड) का०-.....2735...../राँची, दिनांक 26/3/15  
प्रतिलिपि-नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा  
विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*lit 26/3/15*  
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-12/लि0से0-22-55/2012 (खण्ड) का०-.....2735...../राँची, दिनांक 26/3/15  
प्रतिलिपि-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/  
महानिबंधक, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा/राज्यपाल सचिवालय  
एवं मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*lit 26/3/15*  
सरकार के प्रधान सचिव।